संख्या-80/2021/2295ई-2/तेरह-2021-1496326

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः:दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

विषयः- शीरा नीति वर्ष 2021-22 के प्रस्तर-5.1.1 में देशी मदिरा निर्माण हेतु शीरे के आरक्षण प्रतिशत को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-59/दस-185/शीरा नीति 2021-22 दिनांक 23-11-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शीरा नीति वर्ष 2021-22 के प्रस्तर 5.1.1 का स्पष्टीकरण निर्गत करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शीरा नीति वर्ष 2021-22 के प्रस्तर 5.1.1 का निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः-

''चीनी मिल द्वारा सी-हैवी शीरे के वास्तविक उत्पादन पर 18 प्रतिशत आरक्षण देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु लागू होगा तथा बी-हैवी शीरे के वास्तविक उत्पादन पर 18x22.5/31.0=13.06 प्रतिशत आरक्षण देशी मदिरा हेतु प्रभावी होगा। चीनी मिले सी-हैवी अथवा बी-हैवी किसी भी प्रकार के शीरे से आरक्षित शीरे की मात्रा को उपरोक्त मानक के अनुसार स्वयं अथवा समूह की किसी भी चीनी मिल से उपलब्ध करा सकती हैं।''

कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in